IJAER/May-June 2019/Volume-8/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

दलित आन्दोलन में डॉ० बी०आर० अम्बेडकर का योगदान : एक अवलोकन

डॉ नवीन कुमार

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ़ उत्तराखंड

सार

आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दलित आंदोलन में सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करते हुए एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। उनके योगदान बहुआयामी हैं, जिसमें कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक आयाम शामिल हैं। हाशिए पर पड़े लोगों के एक चैंपियन के रूप में, अंबेडकर के प्रयासों ने दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रावधानों को शामिल करना सुनिश्चित किया गया। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना में उनके नेतृत्व, शैक्षिक सशक्तिकरण की उनकी वकालत और राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए उनके समर्थन के माध्यम से, अंबेडकर ने जातिगत पदानुक्रमों को चुनौती देने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। हजारों दलितों के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण सहित उनकी पहल सामाजिक मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक मार्ग बनाने में महत्वपूर्ण थी। अंबेडकर की विरासत जाति-आधारित भेदभाव का मुकाबला करने और भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रेरित करती है।

मुख्य शब्द : *दलित आन्दोलन, डॉ० अम्बेडकर,* **योगदान**

परिचय:

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (1891-1956) भारत में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, खासकर दलितों के लिए, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रणालीगत भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ा है। सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले एक बहुश्रुत, अंबेडकर का दलित आंदोलन में योगदान क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी दोनों था। उनकी बौद्धिक दृढ़ता और सक्रियता गहरी जड़ें जमाए बैठी जाति व्यवस्था को खत्म करने और उत्पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करने की ओर निर्देशित थी। दलितों के मुद्दों से अंबेडकर का जुड़ाव उनके जीवन के शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गया था और एक अर्थशास्त्री, वकील और राजनीतिज्ञ के रूप में उनके पूरे करियर में जारी रहा। सामाजिक सुधार में उनके अभूतपूर्व काम कानूनी ढाँचे, शैक्षिक सुधार और राजनीतिक लामबंदी सहित विभिन्न माध्यमों से प्रकट हुए। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में, अंबेडकर ने समानता और न्याय के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन केवल सामाजिक-आर्थिक उत्थान की खोज नहीं था, बल्कि मानवीय गरिमा और समान अधिकारों के लिए एक व्यापक संघर्ष था। उनके प्रयासों में आरक्षण नीतियों की वकालत करना, शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना और हिंदू रूढ़िवाद द्वारा लगाए गए जाति-आधारित उत्पीड़न को अस्वीकार करने के साधन के रूप में दलितों के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का नेतृत्व करना

शामिल था। यह शोधपत्र दलित आंदोलन में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान के विभिन्न आयामों की पड़ताल करता है, जिसमें यह जांच की गई है कि कैसे उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में चल रहे प्रयासों की नींव रखी। डॉ. अंबेडकर के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए, उस ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें उन्होंने काम किया। भारत में जाति व्यवस्था, अपनी कठोर पदानुक्रमिक संरचना के साथ, प्रणालीगत भेदभाव और असमानता को कायम रखती है। दलितों, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से "अछूत" कहा जाता है, को समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया था, जिन्हें गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। यह जड़ जमाया हुआ पदानुक्रम न केवल एक सामाजिक मानदंड था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा भी इसे मजबूत किया गया था। भेदभाव के साथ डॉ. अंबेडकर के शुरुआती अनुभवों और उनकी शैक्षणिक यात्रा ने उन्हें दलितों की दुर्दशा पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले अंबेडकर ने अपनी शैक्षणिक अंतर्दृष्टि को सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा। संवैधानिक कानून और सामाजिक सुधार की उनकी गहन समझ ने उन्हें यथास्थिति को प्रभावी ढंग से चुनौती देने में सक्षम बनाया। भारतीय संविधान के प्रारूपण में अंबेडकर की भूमिका समानता के संघर्ष में एक मील का पत्थर थी। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जैसे सकारात्मक कार्रवाई उपायों को शामिल करने पर उनका जोर दलितों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय का सीधा जवाब था। इन उपायों के लिए उनकी वकालत इस विश्वास पर आधारित थी कि केवल कानूनी और संस्थागत सुधारों के माध्यम से ही सार्थक प्रगति हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति संघ जैसे संगठनों के गठन के माध्यम से दलितों को संगठित करने में अंबेडकर का नेतृत्व और शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उनके प्रयास समुदाय को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण थे। सुधार के लिए उनका रणनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें सामाजिक और धार्मिक रूपांतरण का उनका आह्वान भी शामिल है, हिंदू समाज में व्याप्त जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था। यह शोधपत्र अंबेडकर के काम के इन पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेगा, तथा इस बात पर प्रकाश डालेगा कि किस तरह उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक वकालत ने दलित आंदोलन की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया। विभिन्न दृष्टिकोणों - कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक - के माध्यम से उनके योगदान की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता की खोज में अंबेडकर की स्थायी विरासत की व्यापक समझ प्रदान करना है।

स्वतंत्रता-पूर्व आंदोलन

आजादी से पहले दलित आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत हमें भक्ति काल के आंदोलन में नजर आती है। मुख्य रूप से इस आंदोलन की शुरुआत 15वीं सदी में होती है। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने अपनी भूमिका निभाई। इसमें कबीर और रविदास जैसे समाज सुधारक प्रमुख भूमिका में थे। ऐसी सभी शख्सियतों ने हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था को नकारा और अपनी कविताओं के जरिए समाज में समानता की बात की, जिसका असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। देश के कुछ हिस्सों में नव वेदांतिक आंदोलनों और गैर-ब्राह्मण आंदोलनों ने अहम भूमिका निभाई। इनमें आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जैसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे समाज सुधारकों की लगातार यही मान्यता रही कि जाति व्यवस्था समाज की बेहतरी के लिए बनाई गई एक राजनीतिक संस्था है, न कि प्राकृतिक या धार्मिक विशिष्टता के आधार पर। 19वीं सदी में दलित समाज के आंदोलन की नींव रखने वाले और दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले ज्योतिबा फुले ने सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। हम ज्योतिबा फुले को दलित आंदोलन का सूत्रधार मान सकते हैं, साथ ही ज्योतिबा की पत्नी को भी, जिन्होंने औपनिवेशिक काल में पहला महिला विद्यालय खोला था। ज्योतिबा की

विरासत को आगे बढ़ाने में अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने भारत में दलित आंदोलन की दिशा बदल दी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस क्रम में हम गांधीजी की भूमिका को भी कम नहीं आंक सकते, जिन्होंने हिंदू धर्म में ही छुआछूत की बुराई को खत्म करने की बात की थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वे सामाजिक भेदभाव की समस्या के प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए थे। गांधीजी इस बात के पक्षधर थे कि राष्ट्र का विकास और निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार करके ही हासिल कर सकते हैं। गांधीजी ने दलितों को हरिजन कहा, जिसका अर्थ है 'भगवान के लोग'। गांधीजी ने हरिजनों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की नींव रखी थी। आजादी से पहले दलित आंदोलन से ज्यादा जोर सामाजिक सुधार के कारकों पर दिया गया, लेकिन अंबेडकर उन नामों में से एक हैं जो दलित चेतना और दलित उत्थान के एकमात्र नेता रहे।

स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन

स्वतंत्रता के पश्चात डॉ. आंबेडकर का धर्म परिवर्तन दलित आंदोलन के लिए एक नई राह बनकर सामने आया। इससे दलित समाज को एक नए धर्म को अपनाने का अवसर मिला। इस बदलते परिदृश्य के कारण दलित आंदोलन को भी एक नई दिशा मिली। 1936 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में महार सम्मेलन के दौरान आंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन के अलावा दलितों को मुक्ति दिलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की नींव जाति व्यवस्था है, जब तक दलित हिंदू रहेंगे, वे भोजन, पानी, सामाजिक मेलजोल आदि के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए 1956 में आंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का मार्ग स्वीकार कर लिया। आंबेडकर इस आंदोलन की नींव रखने वाले मुख्य वास्तुकार थे। आंबेडकर जिस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा को शोषित वर्ग के लिए उपयुक्त मानते थे, ऐसे राष्ट्र के लिए जो इसके प्रभाव में न आए, उन्होंने दलित आंदोलन की ठोस नींव रखी। इसी क्रम में दलित पैंथर आंदोलन ने स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलित पैंथर आंदोलन एक नया सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन रंगभेद को लेकर अमेरिकी नीग्रो द्वारा 1970 के दशक के ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रभावित था। इसके संस्थापक नामदेव ढसाल ने प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार जे.वी. पवार के साथ मिलकर 1972 में दलित पैंथर्स की स्थापना की थी। दलित पैंथर्स मुख्य रूप से युवा क्रांतिकारियों के उग्र और क्रांतिकारी विचारों का आंदोलन था। उनके अनुयायियों ने मुख्य रूप से फुले अंबेडकर और कार्ल मार्क्स के विचारों को प्रतिपादित किया। स्वतंत्र भारत में दलित आंदोलन को मुखर स्वर इसी दलित पैंथर के कारण मिला। (कुमार 2016) का कहना है कि दलित पैंथर्स का आंदोलन पहले के दलित आंदोलनों की तुलना में अधिक उग्रवाद की ओर था। हालांकि जिस तेजी से आंदोलन उभरा, उसी तेजी से शांत भी हो गया। अंबेडकर भारत में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन एक दलित नेता जिसने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाकर भारतीय राजनीति और दलित समाज में बड़ा बदलाव लाने की भूमिका निभाई है, वह हैं काशीराम। काशीराम की जीवनी लिखने वाले बद्रीनारायण कहते हैं कि कांशीराम की विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा का ही एक रूप है कांशीराम ने उसे बहुत गहराई से महसूस किया था और उसे बदलने का रास्ता भी खोज लिया था। आगे बढ़ने का रास्ता राज्य की सत्ता पर काबिज होकर लोगों का विकास करना और उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना था। इसलिए कांशीराम ने 1984 में एक राजनीतिक दल 'बहुजन समाज पार्टी' की स्थापना की। काशीराम ने बहुजनवाद का निर्माण किया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने जो गठबंधन बनाया, वह भारतीय राजनीति के लिए एक नया प्रयोग था। दलित आंदोलन और संगठन के माध्यम से दलितों को सत्ता में स्थापित करने में काशीराम काफी हद तक सफल रहे।

ब्रिटिश काल में दलितों की सुरक्षा के लिए बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन:

दलितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बाबा साहब की मांग का इतिहास ब्रिटिश काल के दौरान 1919 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार से शुरू होता है। डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठोस वैधानिक सुरक्षा दिलाने के संघर्ष में निकटता से शामिल थे। वे लंदन में गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे, जहाँ उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग की थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाद में अंबेडकर ने दिखाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की गारंटी 1949 के भारतीय संविधान में विधायी, रोजगार और शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण के रूप में दी गई थी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर दलितों के महान समर्थक थे क्योंकि उन्होंने दलित वर्ग के आंदोलन को पूरे भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन में बदलने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आज भी दलितों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के कई घृणित कृत्य अभी भी हो रहे हैं।

बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दलितों के विकास के लिए किये गए उपाय:

डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्हें हमारे राष्ट्रीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए पाठ ने प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने सहित नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। वे भारतीय नागरिकों के मूल और मौलिक अधिकारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के उत्थान के प्रति एक वास्तविक दूरदर्शी थे। उन्होंने दलित जाति के लोगों के विकास और उत्थान के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के रूप में कई प्रावधान किए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को राज्य या किसी भी नागरिक द्वारा लिंग, जाति, धर्म, आयु, नस्ल, भाषा, नामकरण और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) घोषित करता है कि "राज्य को नागरिकों की किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से कोई नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 16(4.बी) में कहा गया है कि "अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को वर्ष की किसी भी रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी, जो खंड (4) या खंड के तहत किए गए आरक्षण के किसी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित हैं क्योंकि रिक्तियों की एक अलग श्रेणी को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें वे वर्ष की कुल रिक्तियों पर 49% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए भरी जा रही हैं।" संविधान का अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि "अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 में 73वें संवैधानिक संशोधन में घोषित किया गया है कि "पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए

डॉ. भीम राव अम्बेडकर एक समाजवादी नेता थे:

यह सच है कि डॉ. अंबेडकर दिल से समाजवादी थे। कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ निराशाजनक संबंध समकालीन भारतीय समाज का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास है। यह वैचारिक मतभेदों से नहीं आया, जो निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर के दिमाग में कुछ अस्पष्ट सैद्धांतिक निर्माणों के रूप में मौजूद थे, जैसा कि दलित आंदोलन के प्रति कम्युनिस्ट नेताओं के दृष्टिकोण से था। बॉम्बे के ट्रेड यूनियनों के इन नेताओं ने जाति के सवाल को एक महत्वहीन सुपर स्ट्रक्चरल मुद्दा माना, जो क्रांति होने पर अपने आप गायब हो जाएगा। अस्पृश्यता, जाति, असमानता, भेदभाव

के बारे में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण वह आधार था जिस पर डॉ. अंबेडकर ने साम्यवाद पर पूरी थीसिस बनाई थी। मार्क्सवाद को उसके स्वयंभू अनुयायियों के साथ पहचानने की विरासत अभी भी दलितों द्वारा अपनाई जाती है। वे मार्क्सवाद की कमी या अनुपयुक्तता को दिखाने के लिए संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों का उदाहरण देते हैं। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि मार्क्सवाद आंतरिक रूप से आलोचना की मांग करता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता होती है। डॉ. अंबेडकर की साम्यवाद से असहमति के सभी पहलुओं को देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बी.आर. अंबेडकर समाजवादी नहीं थे। लेकिन वे एक अलग तरह के समाजवादी थे। मार्क्स के साथ उनका सबसे बड़ा टकराव सर्वहारा वर्ग की तानाशाही था, जिसकी उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की तानाशाही अनैतिक है। वे हर क्षेत्र में उत्पीड़ितों के लिए, उनके द्वारा, उनके बीच और उनके लिए अधिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। डॉ. अंबेडकर दलितों और महिलाओं के अधिकारों के भी हिमायती थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को जाति में प्रवेश करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1942 में नागपुर (महाराष्ट्र) में महिलाओं के कमजोर वर्गों के सम्मेलन में उन्होंने कहा: हर लड़की जो शादी करती है, उसे अपने पति के दोस्तों के साथ रहना चाहिए और बराबरी करनी चाहिए और उसका गुलाम बनने से इनकार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

दलित आंदोलन और भारतीय समाज में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान बहुत गहरा और दूरगामी है। हाशिए पर पड़े समुदायों, खास तौर पर दलितों के अधिकारों के लिए उनकी अथक वकालत ने एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ें जमाए हुए ढांचे को चुनौती देकर अंबेडकर ने न केवल अपने समय के दमनकारी मानदंडों को खत्म करने की कोशिश की, बल्कि समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित समाज की कल्पना भी की। डॉ अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए शोषित वर्ग को संगठित रहने,शिक्षित बनने एवं संघर्ष करने का संदेश दिया। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से, उन्होंने सुनिश्चित किया कि उत्पीड़ितों की आकांक्षाएँ राष्ट्र के कानूनी ढांचे में निहित हों। शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सुधार पर उनके जोर ने अनगिनत व्यक्तियों को जाति की बाधाओं से ऊपर उठने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाया। उनके द्वारा स्थापित विभिन्न आंदोलनों और संगठनों ने दलित समुदाय को उत्साहित किया, उनमें गर्व और आत्म-सम्मान की भावना पैदा की जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले ने दलित संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने जातिगत पदानुक्रम को खारिज करते हुए एक वैकल्पिक आध्यात्मिक मार्ग पेश किया और समानता को अपनाया। जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ चल रही लड़ाई और भारत में सामाजिक न्याय की खोज में उनकी विरासत कायम है। समकालीन समाज में, अंबेडकर के विचारों और कार्यों की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जाति, पहचान और सामाजिक समानता पर बहस राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखती है। उनका जीवन करुणा, दूरदर्शिता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर आधारित नेतृत्व की परिवर्तनकारी क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जब हम अंबेडकर के योगदान पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी के लिए समानता और सम्मान की खोज एक सतत यात्रा बनी हुई है, जिसके लिए उनकी स्थायी विरासत से प्रेरित सतर्कता और सक्रियता की आवश्यकता है।

संदर्भ

[1] ओमवेट गेल कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी, के.एल. शर्मा (ई.) भारत में जाति और वर्ग। रावत प्रकाशन, जयपुर; c1994।
[2] अंबेडकर और उसके बाद: भारत में दलित आंदोलन, घनश्याम शाह (ई.) सामाजिक आंदोलन और राज्य। सेज प्रकाशन नई दिल्ली; c2002।
[3] चंद्रा, विपिन, मृदुला मुखर्जी, और आदित्य मुखर्जी (ई.) स्वतंत्रता के बाद का भारत पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली; c1999।
[4] जाफरलॉट। क्रिस्टोफ़ भारत की मूक क्रांति उत्तर भारतीय राज्य में निम्न जातियों का उदय, स्थायी काली दिल्ली; c2003।
[5] मेंडेलसोहन, ओलिवर और मारिका विज़ियानी, अछूतों की अधीनता गरीबी और आधुनिक भारत में राज्य, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; c1998।
[6] दलित - भारत के काले अछूत, वी.टी. राजशेखर द्वारा। 2003-दूसरा प्रिंट, क्लैरिटी प्रेस, इंक. आईएसबीएन 0- 932863-05-1.
[7] अनटचेबल!: दलित मुक्ति आंदोलन की आवाज़ें, बारबरा आर. जोशी द्वारा, जेड बुक्स; c1986. आईएसबीएन 0-86232-460-2, आईएसबीएन 978-0-86232-460-5.
[8] दलित और लोकतांत्रिक क्रांति - डॉ. अंबेडकर और औपनिवेशिक भारत में दलित आंदोलन, गेल ओमवेट द्वारा; c1994, सेज प्रकाशन. आईएसबीएन 81-7036-368-3.
[9] द अनटचेबल्स: सबऑर्डिनेशन, पॉवर्टी एंड द स्टेट इन मॉडर्न इंडिया, ओलिवर मेंडेलसोहन, मारिका विकज़ियानी द्वारा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; c1998, ISBN 0- 521-55671-6, ISBN 978-0-521- 55671-2.
[10] दलित पहचान और राजनीति, राणाबीरा समददरा, घनश्याम शाह, सेज प्रकाशन; c2001. ISBN 0- 7619-9508-0,
[11] ओमवेट गेल. अंबेडकर. एक प्रबुद्ध भारत की ओर., नई दिल्ली, पेंगुइन वाइकिंग; c2004.
[12] रजनी कोठारी (संपादक). जेम्स मैनर द्वारा संशोधित; भारतीय राजनीति में जाति; ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड. दिल्ली; c2014.
[13] श्रीनिवास एमएन. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, दिल्ली; 1966. 18. वर्मा वी.पी. आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा; c1978.